FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ए.डी.ओ. सिरोही मुकाम

गणेशाराम व०

बनाम सरकार वगैरा

किस्म मुकदमा ~~[illegible]~~ राजस्व प्रकरण 212 R.T.Act

राजस्व प्र. सं. 83/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26-2-18	वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार वगैरा उपस्थित। उभय पक्ष को लिखित बहस करने हेतु समय चाहने से समय दिया जाता है। पत्रावली लिखित बहस हेतु दिनांक 26.3.2018 को पेश हो।	
26.3.18	वकीलान आधवक्ता उपस्थित। आज साहब उपखण्ड अधिकारी सिरोही अवकाश पर हैं अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 11-5-2018 को पेश हो।	
11-5-2018	आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमानुसार राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित सेवा केन्द्र भूतगांव में मौके समय पेश हुई। वादीगण फोटोस्टेट नोटिस तामील कराने का शुल्क देने से इन्कार किया। वादी गणेश ने सुनवाई पश्चात हाजिर रहने के हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रतिवादी स्टेट की तरफ से बहसतलब सिरोही उभय। हमने प्रतिवादी स्टेट बहसतलब सिरोही द्वारा बहस करने से बहस सुनकर उक्त पर मनन किया।	

संलग्न प्रार्थना सं. 3 में वर्णित हस्तान्तरण
भूमि प्रमाण पत्र, आवश्यक शुल्क, वादग्रस्त
कृषि भूमि की जमाबंदी, खसरा नकल, पारदर्शी
प्रमाण पत्र की रसीदें, स्टेट वहीलमूल
वंशावली का प्रावधान तथा अभार्थी सं. 2, 3
का दावा आदि को गहनतापूर्वक
अध्ययन कर उस पर मनन किया
विचार सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के
उपरान्त यह पाया कि वादग्रस्त कृषि
भूमि पर सिंचाई साधन उपलब्ध होने पर
वह भूमि कमाण्ड एरीया में नहीं आती
है तथा न ही ली जा सकती है
हस्तक्षेपकारी द्वारा नहर से पानी
लेने से मना करने का कथन सही
है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर कुंआ
सिंचाई साधन स्थित है। इससे प्रार्थी को
कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि हस्तक्षेप
केस अभार्थी गण सिंचाई विभाग
के पक्ष में है क्योंकि सिंचाई विभाग
का मुख्य दायित्व है कि सिंचाई साधन
वाली कृषि भूमि को नहरी पानी देना
है ताकि सम्भवतया कोई खेत
असिंचित नहीं रहे तथा सुविधा का
संतुलन बिना सिंचाई साधन वाले
खेतों को नहरी पानी देने में है। प्रार्थी
की भूमि कमाण्ड एरीया में नहीं
आने से प्रार्थी को कोई मलाल नहीं
होगा। अतः उपरोक्त
सभी आधारों पर प्रार्थी का यह
प्रार्थना पत्र Under 212 R.T. Act का
कि यह अभार्थी गण बाबत प्रकरण
करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार
योग्य नहीं होने से अस्वीकार
(खारिज) किया जाता है। निर्णय
आज खुले न्यायालय में सुनाया। पक्षकारों
को सत्य प्रतिलिपि मूल गांव में
सूचना नामे में सुनाया। पक्षकारों
को सत्य प्रतिलिपि बोर्ड नंबर से कम
हो।

11/5/18

उपखण्ड अधिकारी